राजस्व वाद संख्या 65/2023

1. ओमप्रकाश पुत्र लिछमन जाति कुम्हार निवासी वार्ड न0 13 खेमानियों का कुआं मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू(राज.)

बनाम

2. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार महोदय मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956**

अधिवक्ता वादी:– श्री महेन्द्र कुमार नेमीवाल एडवोकेट

निर्णय

प्रार्थना पत्र दायरी दिनांक:–22.11.2023

निर्णय दिनांक :–06.06.2024

संक्षेप मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि वाके कस्बा मण्डावा की सरहद में जमीन ख. नं. 605 मी. तादादी 6 बीघा 16 बिस्वा व ख. नं. 605/779/1 तादादी 11 बीघा 12 बिस्वा जमीन को वादी के पिता लिछमन ने दिनांक 18.01.1982 को प्रभुदयाल पुत्र गोविन्दराम जाति महाजन नि. मलसीसर से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 18,000 रू. में खरीदी जिसको लिछमन आवेदक के पिता के हक में तस्दीक व तकमील करवा दिया गया। चूंकि उक्त जमीन प्रभुदयाल ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र इलाहीबक्स पुत्र वाजीद जाति मुसलमान नि. मण्डावा से क्रय की थी और इलाहीबक्स ने उक्त वाद ग्रस्त जमीन जरिये कुर्क नीलामी में दिनांक 02.11.1976 को 3,000 रू. में क्रय की थी। इस प्रकार वादी जमीन ख. नं. 605 मी. तादादी 6 बीघा 16 बिस्वा व 605/779/1 तादादी 11 बीघा 12 बिस्वा का रजिस्टर्ड क्रेता है और वर्तमान उक्त जमीन का वास्तविक खातेदार व काश्तकार है। जिसकी चतुर्सीमा निम्न है– उत्तर में खेत कुम्हारान का दक्षिण में खेत गाडंसिंह दारोगा पूर्व में खेत छोटु व्यापारी का पश्चिम में रास्ता आम । वर्तमान में उक्त जमीन के हाल ख. नं. 1399 रकबा 2.43 हे., ख. नं. 1400 रकबा 0.50 हे. ख. नं. 1401 रकबा 0.06 हे. ख. नं. 1402 रकबा 0. 13 हे. ख. नं. 1403 रकबा 1.10 हे. ख. नं. 1405 रकबा 88 हे. रेवेन्यू रिकॉर्ड में अमल दरामद दर्ज किये गये है। जिसको मिलान क्षेत्रफल बतौर दस्तावेजात प्रस्तुत है।प्रार्थना–पत्र की धारा 1 में वर्णित जमीन का कुल रकबा 5.10 हे. दर्ज रेवेन्यू रिकॉर्ड है और उक्त धारा 1 में वर्णित जमीन का नक्शा ट्रेस भी 5.10 हे. के मुताबिक होना जरूरी है। परन्तु राजस्व कर्मियों की लापरवाही के कारण प्रार्थना–पत्र की धारा 1 में वर्णित जमीन का वर्तमान नक्शा ट्रेस न तो रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक है और ना ही पुराने नक्शे से मेल खाता है। और भिन्न है जबकि प्रार्थना–पत्र की धारा 1 में वर्णित जमीन में दर्ज खसरा नम्बरान का न तो मौके में परिवर्तन किया गया और ना ही रेवेन्यू रिकॉर्ड में परिवर्तन किया गया। प्रार्थना–पत्र की धारा 1 में वर्णित जमीन वादी वगै. सन् 1982 से काबिज है। जिसे करीबन 41 वर्षों का समय व्यतीत हो चुका है। इस प्रकार लगभग 41 वर्षों से मौके में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है।पुराने ख. नं. 605 मी. व 605/779/1 के नये ख. नं. 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 140 है। इस प्रकार जो वर्तमान नक्शा सीट में लापरवाही वश गलत एंट्री कर

दी गई है। जो राजस्व कर्मियों की लापरवाही का परिणाम है। इस प्रकार वर्तमान नक्शा सीट पुराने ख. नं. 605 व 605/779/1 के मुताबिक होनी चाहिए थे परन्तु लापरवाही वश राजस्व कर्मियों ने इसका गलत अंकन कर दिया है। जो सुधारा जाना आवश्यक है। वादग्रस्त जमीन के संदर्भ मेंएक दावा पूर्व से न्यायालय में विचाराधीन है। वर्तमान नक्शा शीट को दुरुस्त की जाकर खातेदारान के कब्जा काश्त के अनुसार नक्शा ड्रेस कायम किया जावे। इसलिए तहसीलदार मण्डावा से मौके पर बसे व्यक्तियों के प्रमाणीकरण के उपरान्त ही मौके का नक्शा मौका मंगवाया जाना आवश्यक है। वर्तमान नक्शा ट्रेस दुरूस्त किया जाकर पुराने नक्शे के अनुसार मौके की स्थिति को देखकर जांच रिपोर्ट पेश कर नक्शा दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड दुरुस्त के जाने का आदेश प्रदान किया जावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी भूमि अधिकारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावा को तलबी नोटिस जारी किये। तहसीलदार मण्डावा की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में वर्णित कस्बा मण्डावा के भूमि खसरा न.1399 व 1400 किता 2 रकबा 2.93 है कि खातेदारी प्रतापचन्द पुत्र सुन्दर जाति रैगर के नाम दर्ज है। खसरा न. 1401 1403 की खातेदारी दुर्गाप्रसाद पुत्र भीमसिंह जाति राजपूत व ख.न. 1402, 1405 किता 02 रकबा 1.01 की खातेदारी अंजना पुत्री किशनलाल, कैलाश कुमार लाहोरा पुत्र किशनलाल, गीतादेवी पत्नी किशनलाल संतोष कुमार पुत्र किशनलाल, सुर्यप्रकाश पुत्र किशनलाल, सविता पुत्री किशनलाल जाति मेहतर के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थना पत्र / वाद में वर्णित भूमि आवेदक के नाम से दर्ज रिकार्ड नही है।।

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया। तहसीलदार मण्डावा की रिपोर्ट के अनुसार आवेदक वादग्रस्त भूमि में खातेदार काश्तकार नही है। अतः धारा 136 के तहत वादग्रस्त भूमि के संबधित वाद दायर करने की अधिकारिता आवेदक को नही है। उपलब्ध साक्ष्य सबूतों एवं तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर एक्ट 1956 खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुप्रिया)
उपखण्ड अधिकारी,
मण्डावा